न्यायालय : आशुतोष खेतान, अपर सत्र न्यायाधीश– ग्यारह, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 639/2026

(पकरीबरावां थाना कांड संख्या – 501/2025 से उद्‌भूत)

अन्तर्गत धारा 115(2), 117(2), 126(2), 109, 351(3), 352, 190, 191(3) बी0एन0एस0

किशोरी चौहान एवं दो अन्य बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
10.04.2026	01. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण/आवेदकगण **01. किशोरी चौहान**, पिता– श्री द्वारिका चौहान, **02. कमलेश चौहान**, पिता– श्री सोमर चौहान, एवं **03. चंदन चौहान उर्फ चंदन कुमार**, पिता– किशोरी चौहान, सभी ग्राम– पिंडपड़वा, थाना– पकरीबरावां, जिला– नवादा की ओर से पकरीबरावां थाना कांड संख्या– 501/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 117(2), 126(2), 109, 351(3), 352, 190, 191(3) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। 02. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा जमानत आवेदन को संचालित कर कहते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। इन्होंने इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया है। आगे कथन है कि जमीनी विवाद के कारण इन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और संबंधित जमीन इनके कब्जे में है। यह वाद पकरीबरावां थाना कांड संख्या 502/2025 का पलटा वाद है और इनके विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है। यह भी कथन है कि इनके विरूद्ध धारा 109 बी0एन0एस0 लागू नहीं होता है और सह–अभियुक्त उदय चौहान एवं पप्पु चौहान को इसी न्यायालय द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है। अंततः कथन है कि आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत् निर्धारित शर्तों का पालन करने तथा बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इनके जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। 03. विद्वान अपर लोक अभियोजक कांड–दैनिकी दाखिल कर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते हैं कि आवेदकगण पर सीधा आरोप है और वाद अनुसंधानरत है, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाए। सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा विभिन्न कागजात की छायाप्रति दाखिल कर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हैं। 04. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सूचिका सम्फुल देवी के लिखित आवेदन के अनुसार, अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 18.12.2025 को समय करीब 11:30 बजे दिन में जमीन खाता 1010 प्लॉट 7117, 7118 रकबा 62 डि0 जिसपर टाइटल सूट वाद संख्या 602/2024 लगा हुआ है में महेन्द्र चौहान, सुनीता देवी, ललिता देवी, **कमलेश चौहान, पप्पु चौहान, किशोरी चौहान, चंदन चौहान (सभी आवेदकगण)**, उदय चौहान एवं संजु देवी सभी मिलकर विवादित जमीन पर जबरदस्ती पीलर देने लगे। सूचिका के जेठ के विरोध करने पर कमलेश चौहान ने लोहे के रॉड से जान मारने की नीयत से लक्ष्मण चौहान के माथा पर मार दिया जिससे माथा फट गया तथा दोनों हाथ पर मार दिया जिससे हाथ टूट गया। जब ब्रहमदेव चौहान बचाने गए तो कमलेश चौहान एवं पप्पु चौहान ने ईंट–पत्थर से उनके माथा एवं हाथ पर मारा जिससे वे जख्मी हो गए और योगेन्द्र चौहान बचाने गए तो किशोरी चौहान ने लाठी से माथा एवं हाथ पर मार दिया जिससे माथा फट गया। सीता देवी बचाने गई तो चंदन चौहान ने लाठी से मार दिया जिससे वह भी जख्मी	

लगातार.....
10.04.2026

हो गई और जब सुषमा देवी बचाने गई तो संजु देवी ने शीशम के टोना से हाथ पर मारा जिससे हाथ टूट गया। कंचन देवी, लखपति चौहान एवं सिकंदर चौहान बचाने आए तो महेन्द्र चौहान, सुनीता देवी, ललिता देवी, कमलेश चौहान, पप्पु चौहान, उदय चौहान एवं किशोरी चौहान ईंट–पत्थर चलाने लगे जिससे सिकंदर चौहान का दाहिना हाथ में चोट लगा एवं पप्पु चौहान ने शीशम के टोना से माथा पर मारा तो नाक से खून गिरने लगा एवं माथा में सूजन हो गया और लखपति को पीठ पर चोट लग गया है। सभी ने जान मारने की धमकी दिया और डायल 112 के पुलिस अधिकारी ने पहुंच पर जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

05. विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख में संलग्न कांड–दैनिकी के कंडिका 02 में वादिनी ने अपने पुर्नबयान में तथा कंडिका 03 एवं 04 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 24 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संलग्न जख्म–प्रतिवेदन के अनुसार जख्मी ब्रहमदेव चौहान, लक्ष्मण चौहान, सुषमा देवी, जोगेन्द्र चौहान एवं सीता देवी को हाथ में फ्रेक्चर पाया गया है जो गंभीर प्रकृति का है तथा जख्मी जोगेन्द्र चौहान को सिर में चोट भी पाया गया है। आवेदकगण पर प्रहार करने का सीधा आरोप है जिसे जख्म–प्रतिवेदन से बल मिलता है। सूचक द्वारा दाखिल कागजात से प्रतीत होता है कि उनके परिवार द्वारा आवेदक किशोरी चौहान एवं अन्य के विरूद्ध हकीयत वाद सं0 602/2024 दिनांक 31.08.2024 नवादा न्यायालय में दाखिल किया है एवं वर्तमान घटना से पूर्व भी विद्वान अनुमंडल दण्डाधिकारी, नवादा के समक्ष धारा 163 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आवेदन भी दिनांक 16.12.2025 को दाखिल किया है तथा दिनांक 18.12.2025 को पुलिस अधीक्षक, नवादा को भी लिखित शिकायत दिया है लेकिन अगले ही दिन अभियुक्तों द्वारा सूचक एवं उसके परिवार वालों साथ बुरी तरह से मारपीट कर पॉच लोगों को गंभीर रूप से जख्मी किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण मनबढ्ढु किस्म के व्यक्ति हैं और उनमें कानुन का कोई भय नहीं है। आवेदकगण पर सीधा आरोप है और वाद अनुसंधानरत है।

06. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदकगण पर प्रहार करने का सीधा आरोप होना जिसे जख्म–प्रतिवेदन से बल मिलना, सूचिका के परिवार द्वारा पूर्व में हकीयत वाद दाखिल किया जाना एवं संबंधित पदाधिकारी को लिखित शिकायत देना, पॉच व्यक्तियों को गंभीर जख्म कारित होना तथा वाद अनुसंधानरत रहने के आलोक में यह न्यायालय आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदकगण **01. किशोरी चौहान**, **02. कमलेश चौहान** एवं **03. चंदन चौहान उर्फ चंदन कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायहित में **खारिज** किया जाता है।

07. कार्यालय इस आदेश की एक प्रति को संबंधित न्यायालय में अविलंब भेंजे।

(लेखापित)

(आशुतोष खेतान)
अपर सत्र न्यायाधीश–ग्यारह,
नवादा।